



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 15, 1983/चैत्र 25, 1905

No. 54]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 15, 1983/CHAITRA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 10-आई०टी०सी० (पी०एन०)/83

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1983

विषय :--अप्रैल, 1983 मार्च, 1984 के लिए आयात एवं निर्यात नीति ।

मि० सं० आई०पी०सी०/3/83 में जारी :--अप्रैल, 1983 मार्च 1984
के लिए आयात और निर्यात नीति इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1
में दी जाती है ।

2 इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 2 में दी गई शुद्धि-पत्र/
शुद्धियां नीति पुस्तक में प्रत्येक के सामने संकेतिक उचित स्थानों पर की
गई भ्रमणी जाएंगी ।

रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक
आयात निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 10 आई०टी०सी० (पी०एन०)/
83, दिनांक 15-4-83 के लिए अनुबंध-2

क्रम 1983-84	संदर्भ	शुद्धि-पत्र/शुद्धियां
सं० के लिए		
आयात-निर्यात		
नीति		
(भाग 1)		
की पृष्ठ सं०		

1	2	3	4
---	---	---	---

1	28	अध्याय 14 उप पैरा 93(3)	निम्नलिखित को इनके अंत में जोड़ा जाएगा :
---	----	----------------------------	---

“परिशिष्ट 2 में आने वालों
को छोड़कर पुराने (प्रयोग) में
लाये हुए पुराने माल । माल के
लिए भी विशिष्ट आयात लाइसेंसों
की आवश्यकता होगी ।”

1	2	3
14	कोका और कोका से बने सामान (उदाहरणार्थ कोका-बीन्स, छिलका, भूसी छान और रद्दी, कोकापेस्ट, कोका बटर (घसा या तेल), कोका चूर्ण, चाफ-लेट और अन्य खाद्य सम्पाक (जिनमें कोकाम की मात्रा हो)।	17.01
15	माल्ट सत्त	19.01/08
16	अविनिमित्त तंबाकू	24.01
17	सभी प्रकार के गंधक, किन्तु उत्कृष्ट गंधक, प्रिसिपिटेड गंधक एवं कोलाडीय गंधक को छोड़कर। ऐस्बेस्टोज, अपरिष्कृत प्राकृतिक बोरेट और उनके सार (कैल्साइट हो या न हों) किन्तु इसमें प्राकृतिक बोरिक एसिड से अलग किए गए बोरेट शामिल न हों। बोरिक एसिड जिसमें ड्राई बेट कटाईल सैड के आधार पर गणना किए गए एच-बी ओ-का अंश 85 प्रतिशत से अधिक न हो।	25.01/32
18	धात्विक अयस्क और सान्द्रण; धुना हुआ सोडा और पाइराइट्स (1) जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों (2) एण्टीमनी अयस्क और सान्द्रण (3) टंगस्टन अयस्क और सान्द्रण (4) जस्ता अयस्क और सान्द्रण	26.01
19	धातुमय राख और अवशेष जिनमें धातु या धात्विक योगिक हों।	26.2/04
20	संश्लिष्ट पित्त, बाइन्डर पित्त, खनिज मोम, कच्चा पेट्रोलियम कोक और कैल्साइट पेट्रोलियम कोक।	27.08, 27.12/13 और 27.14/16
21	रसायनिक तत्व, प्रकाशिक रसायनिक योगिक और अन्य उत्पाद: सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक सं० 28.01/58 की टिप्पणी 1 और 2 में यथा-विशिष्टिकृत। (1) जो और कहीं विशिष्टिकृत न हों (2) एल्युमीनियम फ्लोराइड, (3) एल्युमीनियम आक्साइड, (4) ब्लोबिंग पेस्ट और ब्लोबिंग पाउडर, (5) बोरेक्स और बोरिक एसिड (6) कार्बन (कार्बन ब्लैक सहित) (7) क्लोरोलाइट, सिथेटिक (8) क्रूड फार्म में आयोडीन (9) पारा (ए०आर०, बी०पी०, यू०एस०पी० या शुद्धता की तुल्य अंश; 500 ग्राम या इससे कम वाले डिब्बों में) (10) सिलिकॉन (11) सोडियम हाइड्रो-सल्फाइड (12) टिटानियम हाइ-आक्साइड	28.01/58

1	2	3
(13)	निम्नलिखित उत्पाद, अर्थात् : एसिड्स, जो और कहीं अन्य विशिष्टिकृत न हों एयर (कम्प्रेस्ड या लिक्विड), अल्यूम, अमल-गम्स, एमोनिया, एनहाइड्रस, आर्सेनिक, एजाइड्स, आयो-कार्बोनेट आफ सोडा, बोराइड्स, कैडमियम सल्फाइड, कार्बाइड (उदाहरण के लिए मिनिकॉन, बोरोन कार्बाइड, मेटल कार्बाइड्स), क्रोम कंपाउन्ड्स कार्बोम, कोबाल्ट आक्साइड, आर्टीफिशियल, ग्रीन क्रायल जैसे (फैरम सल्फेट), हाइड्राइड, डोस, लैड कम्पाउन्ड्स मैग्नेशियम कम्पाउन्ड्स (मैग्नेशियम आक्साइड से निम्न, चाहे रसायनिक रूप से शुद्ध हो या न हो), नाईट्राइड्स, पोटाशियम कम्पाउन्ड्स, सेलेनियम, सिलिकाइडोस, सोडा-ग्लू सोडियम साइनाइड सोडियम सिलिकेट, यूरेनियम आक्साइड, जिंक कम्पाउन्ड्स।	
22	कार्बनिक योगिक जिनमें एन्टीबायोटिक्स, हार्मोन्स, सल्फा ड्रग्स, विटामिन्स और सीमाशुल्क टैरिफ एक्ट शीर्षक सं० 29.01/45 की टिप्पणी सं० 1 और 2 में विशिष्टिकृत और अन्य उत्पाद। (1) जो और कहीं विशिष्टिकृत न हों, (2) एसिड कार्बो-सिलिक (3) निम्नलिखित अल्कोहल, अर्थात् आइसो-प्रोपिल, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रो-पाइल अल्कोहल। (4) निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन्स, अर्थात् बेंजीन इथाइल बेंजीन, टॉल्यून, जार्हलीन (5) निम्नलिखित रंजक मध्यस्थ, अर्थात्— सी-एसिड (2-क्लोरो-5 टॉल्यूइडिन-4 सल्फोनिक एसिड), या (6-क्लोरो-एन-टॉल्यूइडिन-4 सल्फोनिक एसिड), एच-एसिड, आई-एसिड (2-नेप्थाइल अमीन-5 हाइड्रोक्सी-7-सल्फोनिक एसिड), जे-एसिड गूरिया, एसिटी-ऐमट-एनीलाइड, ऐसीटो-ऐमट-ओ-क्लोरो-एनीलाइड, एमीटो ऐमट-ओ-क्लोरो-एनी लाइड, ऐसीटो-ऐमट-ओ-टॉल्यूइडिन, ऐसीटो ऐमिटिक एस्टर (इथाइल/मिथाइल)। 1. एमीनो-एन्था-कुनैन 2. एमीनो-एन्था-कुनैन (बोटा-एमीनो-एन्था-कुनैन) 2 ओ-अमीनो ए जेड टॉल्यूइडिन (2. 3-आई-मिथाइल-4-एमिनो-एओ-बेंजीन या (4-ओओ-टॉल्यूआजिड-ओ-ओरथो-टॉल्यूइडिन,) एमिनो आइसो जी-एमिड 1-अमीनो-6-नाइट्रो-2-नेप्थॉल-4-सल्फोनिक एसिड, एन्था कुनैन/बीटा नेप्था-सीन थायो-क्लाइ-कोलिक एसिड (2-नेप्थाइल थायो-गाइसिलिक एसिड) बोटा नेप्थाल बेंजीडाइन सल्फेट/बेंजीडाइन आई-हाइड्रो-क्लोराइड	

1

2

3

1

2

3

बेंजोयल जे-एमिड

(2-बेंजोयल एमिनो 5-नेप्थाल-7-सल्फोनिक एमिड)

शिकायो एमिड

4-क्लोरो-2-एनसीडाइन

एम-क्लोरो एनीलीन,

ओ-क्लोरो एनकुलीन

पी-क्लोरो एनीलीन

4-क्लोरो-2-नाइट्रो-एनीसोल,

4-क्लोरो-2-नाइट्रो एनीलीन,

एम-क्लोरो-पैरा-जाइलीन,

4-क्लोरो-ओ-टोलुइ-डाइन

5-क्लोरो-ओ-टोल्यू-डाइन,

2 : 5 डाइ-क्लोरो एनीलीन

1 : 4 डाइ-एमिनो एन्था कुनैन,

1 : 5 डाइ-एमिनो-एन्था कुनैन,

2 : 5 डाइ क्लोरो नाइट्रो बेंजीन

2 : 5 डाइ-मिथाइल-4-क्लोरो-फिनाइल-थायो-

ग्लाइकोनिक एसिड, डाइ मिथाइल मल्फेट, डाई-

नाइट्रो-स्टिलबीन, डाइ-सल्फोनिक एमिड

(4, 4/डाइ-नाइट्रो-स्टिलबीन-2, 2/डाइ-

सल्फोनिक अम्ल), गामा एसिड

मेटा-फिनाइलिन डाईअमीन,

मेटा-टोल्यूलीन डाईमीन,

नेबिल बिन्धर एमिड,

एन-नाइट्रो एनीलीन

ओ-नाइट्रो-एनीलीन

पी-नाइट्रो-एनीसोल

पी-नाइट्रो-फिनोल (1-नाइट्रोक्सी-4-नाइट्रो बेंजीन),

ओरथो एनसीडाईन धारथो नाईटो-टोल्यूइन आधो

होलीडाइन

एम-नाइट्रो-पी-टोल्यूडाइन एन एन पी टी),

पैरा-एनीसिडाइन, पैरा नाइट्रो एनीलीन,

पैरा नाइट्रो टोल्यूइन, पैरा नाइट्रो-टोल्यूइन-ओधो

सल्फोनिक एसिड पैरा नाइट्रो-टोल्यूइन-ओधो-

सल्फोनिक एसिड टोल्यूइन-1-नाइट्रो-2-सल्फो-

निक एसिड या

बेंजीन-1-मिथाइल-4-नाइट्रो-2-सल्फोनिक एसिड)

पैरा टोल्यू-डाइन,

पैरा टोल्यूडाइन मेटा सल्फोनिक एसिड, फिनाइल जे,

एसिड (2-फिनाइलमीन नेप्थाल-6-सल्फोनिक

एसिड या 2-फिनाइलमीनो-5-हाइड्रोक्सी

नेप्थाइलीन-7-सल्फोनिक एसिड)

पेरो एसिड्स

रोड्युसाइन एसिड, जी साल्ट, आर साल्ट

(2-नेप्थाल-3, 6-डाईसल्फोनिक एसिड, सोडियम

साल्ट),

शीफर एसिड (2-नेप्थाल-6-सल्फोनिक एसिड)

सोडियम नेप्थोयोनैट/नेपथियोनिक एसिड,

सल्फ-एनीलीन एमिड,

टोबियाम एमिड (2-नेप्थाइल-एमिन-1

सल्फोनिक एसिड),

ट्राइ-क्लोरो बेंजीन

(6) निम्नलिखित मध्यस्थ, अर्थात् :—

डाई-एमिनो स्टिलबीन, डाई-सल्फोनिक एसिड,

(4, 4/डाई-एमिनो स्टिलबीन-2, 2/डाई-

सल्फोनिक एमिड, डाई-इथाइल मेटा एमिनो

फिनोल (बोटा डाई इथाइलमाइनो फिनोल),

मेटो क/इक एमिड, आधो टोल्यूडाइन, फिनाइल

पेरो एसिड (फिनाइल एमिनो नेप्थालाइन-बी

सल्फोनिक एमिड), कुनैन-राइन

(1, 4 डाई-हाइड्रोक्सी-एन्था कुनैन),

(7) फास्ट कलर बेस जो साधारणतया कपलिंग कम्पोनेंटस के रूप में प्रयोग किए हुए हैं।

(8) फास्ट कलर साल्ट,

(9) नेप्थाल, जो साधारणतया कपलिंग कम्पोनेंटस के रूप में प्रयोग हुआ है।

(10) निम्नलिखित यौगिक, अर्थात् :—

एसिड, जो और कहीं विशिष्टीकृत न हो,

एमिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड (फिनोल),

सिट्रिक एसिड, टारटरिक एसिड, रीशेट एसिड्स

(11) इत्रमाजी के रसायन, अर्थात् वे कार्बनिक

रसायन जो इत्रमाजी, प्रसाधन, टोयलट

उत्पाद, खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थों में

खुशबू मिलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

(12) कोटनशी, महामारीनाशी और फंकूदी-नाशी रसायन

(13) फार्मास्युटिकल रसायन अर्थात् जिनमें रसायनों में प्रोफार्माइटिक या पेरॉपिपुटिक गुण हों और जिनका प्रयोग एक मांस या मुख्य रूप से श्रोषकों के रूप में किया गया हो; जो अन्य कहीं विशिष्टीकृत न हों,

(14) निम्नलिखित फार्मास्युटिकल रसायन, अर्थात्—

कोकानी, ओपियम के एल्कलायड्स और उनके

व्युत्पन्न, सिनकोबा के एल्कलायड्स और

अन्य एल्कलायड्स, जो रसायनिक रूप से

सिनकोबा एल्कलायड्स के समान हों,

(15) एन्टीबायोटिक्स

(16) सल्फा ड्रग्स

(17) बिटामिन्स

(18) स्कीन और अन्य ऐसे मूल तत्व जो केन्द्रीय

सरकार द्वारा अधिसूचना में सरकारी राज-

पत्र में स्कीन के स्वरूप या स्कीन के प्रयोग

के समान घोषित किए जाएं, और स्कीन के

निर्माण में प्रयुक्त मध्यस्थ या ऐसे ही अन्य

पदार्थ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापूर्वोक्त

अधिसूचित किए जाएं।

(19) प्रयोगशाला रसायनिक, कार्बनिक और अकार्ब-निक; कस्टम्स टैरिफ ऐक्ट शीर्षक 29.01/45 की टिप्पणी 2 और 3 में यथा परिभाषित।

(20) क्रेपो लेभटम और डाइ मिथाइल टैरी फेवालेट

(21) कपूर

1	2	3	1	2	3
23	आर्गोनो-थेराप्युटिक ग्लैस या अन्य आर्गोन, सुखे चाहे बुकनी बनाए हुए हों या नहीं हों; ग्लैस के आर्गोनो-थेराप्युटिक सत्त, या अन्य आर्गोन या उनके जाल, थेराप्युटिक या प्रोफार्मेटिक प्रयोग के लिए तैयार किए गए अन्य पशु पदार्थ जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों या शामिल न हों।	30.01	29	समन्ध तेल, प्राकृतिक या संश्लिष्ट; समन्ध तेलों के एकस जस्टिलेट और एकस सोल्यूशन, जिनमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं, जो चिकित्सा उपयोगों के लिए उपयुक्त हों; कंक्रीट और एब-सोल्यूट; रेजिनॉयड्स; परक्यूमरी, फार्मेडिकम और टायलट प्रिपरेशन, हम डैडो राइडर्स;	33.01/06
24	एंटी-सेरा माइक्रोबियल बैक्टीरिया, टाक्सिन, माइक्रो-बियल कल्चरस (खमीर सहित परन्तु यीस्ट को छोड़कर) और समान उत्पाद	30.2	(1) जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों (2) मिट्रानेल्स, मिनेमन और सिनेमन को पत्तियों के प्राकृतिक समन्ध तेल।		
25	श्रीषध (पशु चिकित्सा श्रीषधों सहित) :		30. स्नेहीकरण के तैयार सामान और वस्त्र, चमड़ा	34.01/47	
(1)	जो और कहीं विशिष्टिकृत न हों		या अन्य माल के तेल या ग्रीस के प्रतिपादन में उपयोग होने वाले तैयार सामान, परन्तु इसमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमीनियम माल से प्राप्त तेल को 70 प्रतिशत या इससे अधिक वजन में भी शामिल है। कृत्रिम मोम (पानी में घुलनशील मोम सहित), तैयार मोम, अपायसीकृत हो या जिसमें विनायक और सोडियम सारिल सल्फेट शामिल हों, मोडियम सारिल हथर सल्फेट।		
(2)	स्प्रेट मात्रा वाली श्रीषध				
26	बाइन गेज, बेडज और इसी प्रकार की वस्तुएं (उदाहरणार्थ--ड्रेमिंग, अपजक प्लास्टर पुल्टिम), फार्मास्युटिकल तरबों से संसेचित या अवहित या भेडिकल या सजिकल उद्देश्यों के लिए रिटेल पैकों में रखे हुए; नसबंदी चिकित्सा टांकों की सामग्री और अन्य फार्मास्युटिकल माल जो कस्टम टैरिफ एक्ट शीपक सं० 30.04/05 की टिप्पणी 3 में विशिष्टिकृत हो,	30.04/05	31. निम्नलिखित पदार्थ और उनके व्युत्पन्न जैसे केसिंगन, एन्बुमाइन, जिलेटिन (चाहे रंगीन या सरफेस-वर्क हो या न हो) पेपटोनस और अन्य प्रोटीन पदार्थ आइमिगलास, चमड़ा चूर्ण, डेक्स-ट्रिस, घुलनशील या भुंता हुआ स्टार्च, एजिम्स, तैयार एजिम्स और रबुस जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत या शामिल न हों:	34.01/07 35.01/07	
27	वनस्पति मूल के चमड़ा शोधन के सत्त, चर्म शोधन (टैनिंग एमिडन) और उनके व्युत्पन्न, संश्लिष्ट कार्बनिक द्रव्य और अकार्बनिक चर्म शोधन द्रव्य, चर्मशोधन सम्पाक, चाहे प्राकृतिक चर्म-शोधन सामग्री की मात्रा हों या न हों; चर्म शोधन से पहली क्रिया के लिए एन्जाइमेटिक सम्पाक (उदाहरणार्थ--एन्जाइमेटिक, पेनक्रियाटिक, या वैप्टेरियल आम्बेरीजन)	32.01/03	(1) जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों। (2) जिलेटिन, परिष्कृत।		
(1)	जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों,		32. फेरो-सोरियल और सभी रूपों में पाइरोफेरिक एलाय।	36.01/08	
(2)	गैम्बियर/वनस्पति मूल के		33. रसायन उत्पाद और रसायन या सम्बद्ध उद्योगों के तैयार सामान (इसमें प्राकृतिक उत्पादोमिश्रण वाले भी शामिल हैं), जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत या शामिल न किए गए हों, रसायन और सम्बद्ध उद्योगों के शेष उत्पाद, जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत या शामिल न किए गए हों।	38.01/19	
(3)	गैम्बियर से भिन्न/किनेरन, चर्मशोधन और चर्मशोधन सत्त		34. (1) जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों (2) एक्टिवेटेड कार्बन (3) खनिज तेल के लिए एन्टी-नोक सम्पाक और तैयार भोज्य (4) कृत्रिम ग्रेफाइट (5) मिश्रित केटेलिस्ट (6) प्लास्टीसाइजर्स जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों (7) तैयार रबड़ रसायन (8) स्टाक होते तार, परिष्कृत (9) जल रसायन, जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों।		
28	कलरिंग पदार्थ; सिन्थेटिक आर्गनिक डाइस्टफ (पिगमेंट डाइस्टफ सहित); ल्यूमिनोफोरस के रूप में प्रयुक्त क्रिस्म के उत्पाद; रेडो के लिए मूल आप्टोकल ब्लीचिंग एजेंट्स; तैयार पिगमेंट और तैयार ओपेसीफाईर्स; तैयार ड्राइर्स; रनाम फिट और अन्य शीशा, पाउडर ग्रेन्यूल्स या फ्लैक्स के रूप में; स्टामपिंग फायल्स :	32.04/12			
(1)	जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों;				
(2)	पिगमेंट डाइस्टफ				
(3)	सिन्थेटिक आर्गनिक डाइस्टफ, जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों				
(4)	एजो ड्राइस				
(5)	सल्फर डाइस				
(6)	वाट हाउस जिनमें सालुबल वाट भी शामिल है				
(7)	आप्टिकल ब्लीचिंग एजेंट।				

1	2	3	1	2	3
34.	कन्डन्सेशन पोलीकन्डेंसेशन और पोलीएडिशन उत्पाद, चाहे आशोधित या पॉलिमराइज्ड हों या न हों, और चाहे वह साइनर हों या न हों (उदाहरणार्थ, फेनोफेनास्ट, एमिनोप्लास्ट, एल्काइड, पोलिएसिल, इस्टर्स और अनेचुरेटिड पोलिएस्टर्स, मिलिकोन), पोलिमराइजेशन और कॉ-पोलिमराइजेशन उत्पाद (उदाहरणार्थ पॉलि-एथीलीन, पॉलिथेन्हालोएथीलीन, पॉलियोथ्यूलीन, पॉलिस्टीरीन, पॉलिविनायल क्लोराइड, पॉलिविनायल एसिटेट, पॉलिविनायल क्लोरो-एसिटेट और अन्य पॉलिविनायल व्युत्पन्न, पॉलि-मेथाक्रिलिक व्युत्पन्न, कोउमेरोनिमडेन रेजिन्स), रिजिनरेटिड सेल्यूलोस, सेल्यूलोस लाइट्रेट, सेल्यूलोस एसिटेट और अन्य सेल्यूलोस इस्टर्स, सेल्यूलोस इथर्स और सेल्यूलोस, प्लास्टिफाइड या अवलकनीकृत रेशों के अन्य रासायनिक व्युत्पन्न (जैसे जेलोडियोम, सेल्यूलामड), हाईड्रॉ प्रोटीन (जैसे हाईड्रॉ केमियन और हाईड्रॉ जिलेटिन), प्राकृतिक रेजिन जो फर्मेन से आशोधित हों (रत गम), प्राकृतिक रेजिन या रेजिनिक एसिड के इस्टरी फिकेशन से प्राप्त प्राकृतिक रेजिन (इस्टर गम), प्राकृतिक रबड़ के रासायनिक व्युत्पन्न (जैसे क्लोरीनेटिड रबड़, रबड़ हाइड्रोक्लोराइड, आक्सोहाइड्रॉ रबड़, साइक्लीसाइड रबड़), अन्य उच्च पालिमर्स, कृत्रिम रेजिन और कृत्रिम प्लास्टिक माल, जिसमें एल्टिनिक एसिड उसके लक्षण और इस्टर्स, लाइबेक्सीन भी शामिल हैं)	39.01/06	38.	कच्चा चमड़ा और खाल (ताजा, नमकीन, सुखाई हुई, अम्ल मांजित और चुना मांजित चाहे टुकड़े किए हुए हों या न हों जिसमें ऊन में भेड़ की खालें भी शामिल हैं।	41.01
35.	शीर्षक सं० 39.01/07 में जिस मय का ब्योरा दिया गया है उनकी सामग्री।	39.07	39.	बोविन कौटल चमड़ा (भैंस के चमड़े सहित) और इक्वाइन चमड़ा, भेड़ और मैनने की खाल का चमड़ा अन्य प्रकार का चमड़ा, जिसमें कम्पो-जिशन चमड़ा भी शामिल है, चमड़ा या कम्पो-जिशन चमड़े के कतरन और अन्य वेस्ट।	41.02/10
36.	कच्चा रबड़, प्राकृतिक या संश्लिष्ट, रबड़ लेटेक्स, प्राकृतिक या संश्लिष्ट/उनके मिश्रण सहित (चाहे पूर्ण वल्कनीकृत हों या न हों, बालाटा, गुट्टापर्चा और उसी प्रकार के प्राकृतिक गोबर, सेल से व्युत्पन्न फेक्टिक, रिक्लेमड रबड़, अनहाईड्रॉ रबड़ का वेस्ट और स्केप।	40.01/04	40.	फर चमड़ा और कृत्रिम फर और उससे बना सामान।	43.01/04
37.	प्राकृतिक या संश्लिष्ट रबड़ के तैयार सामान (मास्टर बैच सहित) प्राकृतिक या संश्लिष्ट रबड़ के विनिर्माण चाहे वल्कनीकृत हों या हाईड्रॉ हों या न हों, लेकिन अन्य कहीं विशिष्ट-कृत न हों, वल्कनीकृत रबड़ धागा और डोरी, चाहे टेक्सटाइल का कवर किया हुआ हों या न हों, और वल्कनाइज्ड रबड़ से आवरित या इम्प्रेगनेटिड बस्स धागे, हाईड्रॉ रबड़ के वेस्ट और कतरन।	40.05/10	41.	अपरिष्कृत/बंधन लकड़ी की रही के रूप में लकड़ी और लकड़ी का कोयला, लकड़ी का बुरादा और लकड़ी को बूल, चिरी हुई और सजावटी इमारती लकड़ी, विनियार्ड लकड़ी, प्लाइवुड, सेलुलर लकड़ी, परिशोधित लकड़ी या पुनर्गठित लकड़ी, रेशा, लकड़ी बनाने के बोर्ड या अन्य वनस्पति माल, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम रेजिन का अन्य कार्बनिक बाइंडर्स के साथ बाइंडिड हों या न हों, स्पूल, बाबिन्स और उसी प्रकार की मुड़ी हुई लकड़ी, लकड़ी के सामान जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों : (1) जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों (2) लकड़ी वनस्पति माल का फाइबर बिल्डिंग बोर्ड, चाहे अन्य कार्बनिक बाइंडर्स के साथ हों या न हों।	44.01/28
			42.	प्राकृतिक या एन्सुरेटिड कार्ड और उससे बना सामान वेस्ट कार्ड।	45.01/04
			43.	रेयन प्रेड वुड पल्प }	47.01
			44.	सभी किस्म के कागज और कागज बोर्ड चाहे रोल, शीट्स या कट-टूमाइज या आकार में हों (जिसमें सेल्यूलोस बैडिंग्स, कम्पोजिट कागज या कागज बोर्ड और इम्प्रेगनेटिड, कोटिड, कोरुनेटिड इम्बोसड, परफोरेटिड, सरफेन कलर्ड या सजावटी, क्लड या मुद्रित कागज या कागज बोर्ड), कागज की लुगदी का फिल्टर ग्लास, स्लैब्स और प्लेट्स, कागज या कागज बोर्ड से बनी स्टेशनरी, कागज, कागज बोर्ड, कागज लुगदी या सेल्यूलोस बाइंडिंग का वह सामान जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों : (1) जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत न हों (2) 70 प्रतिशत तक के फाइबर कण्टेंट वाले न्यूजप्रिंट कोटेड गैलेक्सीक वुड पल्प (जिसमें क्रोम, मारबल, फिल्ट, फोस्टर, स्टिरियो और आर्ट कागज शामिल नहीं हैं) (3) अन्य मुद्रण और निबन्धन के कागज	48.01/21
			45.	ट्रान्सफर्स (डिकलकोमानिसम) }	49.08/11
			49.	सभी वर्गों का मलबरी कच्चा रेशम जिसमें व्युपिओन शामिल है।	50.02

1	2	3	1	2	3
47.	स्पन गिल्क यार्न और नायननयार्न	50.03/08		अन्य खनिज पदार्थ या सैल्यूलोज के चाहे सूती अथवा अन्य सामान के साथ मिश्रित हों या नहीं।	
48.	मानव निर्मित रेसो का धागा (कण्टीन्यूम), मोनो-फिल स्ट्रिप्स (नकली स्ट्री और इसी प्रकार के) और मानव निर्मित रेसो माल के इम्पैटेशन केट-गट।	51.01/03	64.	ग्लाम और ग्लाम के बर्तन जिसमें माल को ले जाने या पैकिंग के लिए कन्टेनर्स शामिल हैं, इलेक्ट्रिक लेम्प के लिए एनवेलोप, इलेक्ट्रानिकी वाल्व और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, लेखन सामग्री, रोशनी के लिए शीशे के सजावटी शीशे के बर्तन, आप्टिकल ग्लाम, बड़ी एवं दीवार बड़ी के शीशे और ईटें, टाइल्स, स्लेब्स और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं जो कि साधारणतः मकानों में उपयोग में लाई जाती हैं।	70.01/16
49.	बुने हुए रेसो मानव निर्मित रेसो (कण्टीन्यूम) जिसमें शीशे के 51.01/03 के मोनोफिलर स्ट्रिप्स के बुने हुए रेसो शामिल हैं।	51.04	65.	प्रयोगशाला, स्वास्थ्य और फार्मैस्यूटिकल कांच के बर्तन, चाहे ग्रेजुएटेड या कैलिब्रेटेड हों या नहीं, ग्लाम एम्बयुल्स, आप्टिकल ग्लाम और आप्टिकल ग्लाम के तत्व आप्टिकली तत्वों से भिन्न, कर्-विटब स्पेक्ट्रेकिन लेन्सों के लिए ब्लैकूंस।	70.17/18
50.	ऊन और अन्य पशु बाल के यार्न/बेड या मेमेने की ऊन के बुने हुए रेसो।	53.01/05 53.06/10 और 53.11/13	66.	ग्लाम बीइस, नकली मोती, नकली बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थर, और इसी प्रकार के फॉसी या सजावटी ग्लाम के बर्तन और इससे बने ग्लाम वेयर की वस्तुएं, सजावट के लिए ग्लाम क्यूब्स और लघु ग्लाम प्लेट्स, मासक द्वारा पहनने से भिन्न को छोड़कर शीशे की पलकों की वस्तुएं, शीशे से काम किए हुए लेम्प की अन्य सजावटी वस्तुएं।	70.19
51.	फ्लैक्स और रिनोई	54.01/03 54.09/04	67.	ग्लाम फार्बर यार्न (जिसमें ऊन शामिल है), रेसो और इससे बनी वस्तुएं।	70.20
52.	मानव निर्मित रेसो/धागों से विनिर्मित मिश्रित/रंजित रेसो जिसमें रूई की मात्रा अधिक हो, काटन डेमिन/काईराय रेसो, और काटन हैवी शीटिंग/काटन ड्रिल/काटन कनवास जिसका प्रति वर्ग गज भार 10 औंस से कम न हो।	55.07/09	68.	ग्लाम की अन्य वस्तुएं	70.21
53.	मानव निर्मित रेसो (अविच्छिन्न) और मानव निर्मित रेसों (अविच्छिन्न या विच्छिन्न) को बेस्ट (जिसमें थार्न बेस्ट और पुल्ल अथवा गारनेटिड बीथड़े शामिल हैं) चाहे धुने हुए या साफ किए हुए हों अथवा नहीं या कतार्ई के लिए अन्यथा रूप से तैयार किए हों अविच्छिन्न फिलामेंट दो।	56.01/04	69.	औद्योगिक हीरे और समिलष्ट हीरों का चूर्ण	71.02 और 71.04
54.	मानव निर्मित रेसों का धागा (विच्छिन्न) अथवा बेस्ट।	56.05/06	70.	पिप्स, ब्लाक्स, लम्पस में और इसी प्रकार के आकार में कच्चा लोहा, ठसवा लोहा और स्पिजीइसेन।	73.01
55.	मानव निर्मित रेसों के बुने हुए धागे (विच्छिन्न अथवा बेस्ट)।	56.07	71.	मिश्रित लोह धातु	73.02
56.	हेम्प (मनीला) और सिरल रेसो	57.01/04	72.	बेस्ट और कतरन धातु, शाट और एन्गुलर प्रिफ्ट (चाहे प्रेसिड हो या नहीं), पायर पिल्लेड्स, छोटा अथवा इस्पात चूर्ण, मुलायम लोहा या इस्पात।	73.03/05
57.	बेडिंग और फील्ड जिसमें उनके पुर्जे शामिल हैं विशेष प्रकार के रेसो, इम्प्रेग्नेटेड और कोटिड फीबरिक्स, औद्योगिक उपयोग के लिए उचित किस्म के सूती वस्तुएं।	58.01/15	73.	लोहा या इस्पात की पुडिल्ड बार्स, पिलिग्स, इन्ग्राटस, ब्लाक्स, लम्पस और उसी आकार के ब्लूम्स, बिल्लेड्स, स्लैब्स और शीट बार्स (जिसमें टिन प्लेट बार्स शामिल हैं) लोहा या इस्पात की ठलाई द्वारा विषम आकार में टुकड़े:— (1) अन्यथा रूप से विशिष्टिकृत न हों। (2) लोहा अथवा इस्पात के ठलाई द्वारा विषम आकार के टुकड़े।	73.06/07
58.	(नोटिड या कोहिटिड फीबरिक्स, चाहे इलास्टिक या रबराइज्ड हो अथवा नहीं), अन्तर पहनने वाली पोशाक और ऊपर पहनने वाले पोशाक, दस्ताने, मोजे और ऐसे ही बुने हुए या कोहि-टिड या बुने हुए या कोहिटिड रेसों के बने हुए।	60.01/06	74.	री-रीसिंग के लिए लोहा या इस्पात कार्यस्त	73.08
59.	परिधान की वस्तुओं के लिए (कलोटिंग अनुबंगी	51.01/11	75.	लोहा या इस्पात की यूनीसल प्लेट्स	73.09
60.	सूती पीटिड बैम्स	62.01/05			
61.	जूते और गैटर्स के हिस्से और इसी प्रकार का सामान	64.01/06			
62.	छातों के लिए अनुबंगी	66.01/03			
63.	ब्रेक्स के लिए कलैप्सिंग के लिए और ऐसे ही उचित प्रकार के फिक्शन सामान (सैगमेंट्स, डिजिज, वाशर्स, स्ट्रिप्स, शीट्स, प्लेट्स, राल्स और ऐसे ही) एसबेसटोस आधार के साथ,	69.01/06			

1	2	3	1	2	3
76.	लोहा या इस्पात की छड़ें और राइस (जिसमें वायर राइस शामिल हैं) हाट-राल्ड, फोर्ज्ड, एक्सट्रूड्ड कोल्ड फार्मड या कोल्ड फिनिशड, (जिसमें प्रीसीजन मेड शामिल हैं) हार्डो मिनिंग ड्रिल स्टील।	73.10	85.	लोहा या इस्पात के स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल के पुर्जों (उदाहरणार्थ हैंगर्स और अन्य इमारतों कीजिज और ब्रिज सेक्शन, लाक गेट्स, टायर्स, लिटियोजमास्ट्स, छतों, सटर्स, बैल्यूस्ट्रेड्स, पिलर्स और कापम्स) :—प्लेट्स, स्ट्रिप्स राइस, एंगिल्स, सेप्स, सेक्मस, ट्यूब्स और इसी प्रकार के अन्य तो लोहा या इस्पात के स्ट्रक्चरल में बनाने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं।	73.21
77.	एंगिल्स, शेप्स और सैक्मस, लोहा या इस्पात की हाट राल्ड फोर्ज्ड एक्सट्रूड्ड, कोल्ड फार्मड या कोल्ड फिनिशड, लोहा या इस्पात की शीट पिलिंग, चाहे ड्रिड, पन्चड या ऐसाबिल्ड एलो-मेंटस से बनी हुई हों या नहीं।	73.11	86.	लोहा या इस्पात के रिजरवायर्स, टैक्स, वेल्ड, कास्क्स, ड्रम्स, बाल्टियाँ, सन्तूकें और अन्य किसी माल के लिए इसी प्रकार के कन्टेनर (कम्प्रेस्ड अथवा तरलीकृत गैस से भिन्न)।	73.22/23
78.	लोहा अथवा इस्पात की थुप और स्टीप, हाट राल्ड या कोल्ड राल्ड।	73.12	87.	संपीड़ित अथवा तरलीकृत गैस के लिए लोहे अथवा इस्पात के कन्टेनर।	73.24
79.	लोहा अथवा इस्पात की शीट्स और प्लेट्स हाट राल्ड अथवा कोल्ड राल्ड :— (1) अन्यथा रूप से विनिश्चित नहीं है। (2) टिप्स शीट्स और प्लेट्स।	73.13	88.	इन्सुलेटिड इलेक्ट्रिक केबिल्स को छोड़कर स्टेन्डर्ड वायर, केबिल्स, कार्डेजिज, रोप्स, प्लेटिड बैंड्स, स्विम्स और इसी प्रकार के लोहा अथवा इस्पात की तार।	73.25
80.	लोहा अथवा इस्पात की तार, चाहे लेपित हों या नहीं, लेकिन इन्सुलेटिड नहीं हों।	73.14	89.	बाब्स अथवा स्टील वायर :—टिक्स्टिड ड्रड अथवा सिंगल प्लेट वायर, बाब्स अथवा नहीं और फैसिंग के लिए उपयोग में लाए गए लोहे अथवा इस्पात के डीपी बंडो हुई बोर्डे तार को किस्म।	73.26
81.	शीर्षक सं० 73.06/07 से 73.14 में वर्णित गई आकार में हार्ड कार्बन इस्पात वाले मिश्र धातु इस्पात। (1) अन्यथा रूप से विनिश्चित नहीं है। (2) री-रोलिंग बार्स (जिसमें ब्राइट बार्स शामिल हैं) के लिए कार्बस, जावाबरोधी इस्पात की राइस, वायर राइस, स्ट्रिप्स, शीट्स और प्लेट्स।	73.15	90.	गाज, कपड़ा, घिल, जाली, फैसिंग, रि-इनफोसिंग फेब्रिकस और लोहा अथवा इस्पात के इसी प्रकार के सामान, लोहा और इस्पात के एक्स-पेंडेंट मेटल।	73.27/28
82.	लोहा अथवा इस्पात के रेल्वे और ट्राम्वे मार्ग निर्माण सामग्री :—रेल्स, चेक, रेल्स, स्विच ब्लेड, ब्रासिम्स, (या फास), फासिंग पीमिज, प्वाइंट राइस, रैक रेल्स, स्लीपर्स, फिश प्लेट्स, चारिम, शेयर बेजेंज, सोल प्लेट्स (बेम प्लेट्स), रेल क्लिप्स, बेंड प्लेट्स, टाइज और अन्य सामान जो जोड़ने अथवा फिक्सिंग रेल्स के लिए विनिश्चित-कृत है।	73.16	91.	लोहा अथवा इस्पात की जंजीर और उनके पुर्जों :— (1) जो अन्यथा विनिश्चित न की गई हों। (2) नौबन्ध जंजीर।	73.29
83.	लोहा अथवा इस्पात की ट्यूब्स और पाईप और उनके ब्लैक्स :— (1) जो अन्य कही विनिश्चित न हों। (2) ड्रिफ्ट और पाइप्स और उनके ब्लैक्स। (3) शीर्षक संख्या 84.01/02 के अन्तर्गत आने वाले ब्वायलर्स के लिए ट्यूब्स और पाइप्स और उनके ब्लैक्स। (4) कोरोसियन रेजिस्टिंग माल के साथ सीटिड या लाइनथार ट्यूब्स और पाइप्स, जैसे ग्लाम, रबड़ और प्लास्टिक।	73.17/19	92.	लोहा या इस्पात के लंगर और कांटा लंगर और उनके पुर्जों।	73.30
84.	लोहा अथवा इस्पात की ट्यूब और पाइप फिटिंग (उदाहरणार्थ ज्वाइंट्स, एन्वीज, यूनि-यन्स और फ्लेजिज)	73.20	93.	लोहे अथवा इस्पात के नेल्स, ट्रैक्स, स्टेपल्स, ड्रक-नेल्स, कोरुगेटिड नेल्स, स्पिकड फ्रैम्स, स्टड्स, स्पाइक और ड्राइंग पिन, चाहे उनका ऊपरी निरा अन्य सामान का बना हुआ हो अथवा नहीं, लेकिन इनमें से मर्से शामिल नहीं हैं जिनके निरे ताने के बने हुए हैं।	73.31
			94.	लोहा अथवा इस्पात के बोल्ट्स और नट्स (जिसमें बोल्टएन्ड्स और स्कू स्टड्स) जो थ्रडिड अथवा टेप्ड हों या नहीं और स्कूज जिसमें स्कू ड्रक्स और स्कू रिम्स शामिल हैं), लोहे अथवा इस्पात के रिबिड्स, कानर्स, काटर-पिन्स, वासर्स और रिप्रग वासर्स।	73.32
			95.	लोहे अथवा इस्पात के अन्य सामान।	73.33/40
			96.	कापर मैटी, अपरिष्कृत कापर (शुद्ध किया हुआ या नहीं), कापर बेस्ट और कतरन, मास्टर एलायज।	74.01/02

1	2	3	1	2	3
97	तांबे की परिष्कृत छड़ें, राइस, एंगिल्स, सेप्स और सेक्सम्स :—तांबे के तार	74.03	109.	एल्यूमीनियम पाउडर और ब्लैक्स ।	76.05
	(1) अन्यथा रूप से विशिष्टीकृत नहीं ।		110.	एल्यूमीनियम के ट्यूब्स, पाइप और ब्लैक्स, एल्यूमीनियम की होखो सलाखें, एल्यूमीनियम के ट्यूब और पाइप फिटिंग्स (उदाहरणार्थ जोड़, एल्बो, साकेट्स और फ्लैन्स) ।	76.06/07
98.	तांबे की परिष्कृत प्लेट्स, सीट्स, स्टिप् और फायल ।	74.09/05	111.	एल्यूमीनियम की अन्य वस्तुएं	76.08/18
99.	तांबे का पूर्ण और अपूर्ण	74.06	112	बिना गढ़ा हुआ और गढ़ा ; आ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और वस्तुएं ।	77.01/03
100.	तांबे के ट्यूब, पाइप और ब्लैक्स, तांबे की होखो सलाखें, तांबे के ट्यूब और पाइप फिटिंग्स (उदाहरणार्थ जोड़, एल्बो, गड्ढे और कवचे) ।	74.07/08	113.	बिना गढ़ा हुआ या गढ़ा हुआ बेरीलियम और बेरीलियम की वस्तुएं ।	77.04
	(1) जो अन्यथा विशिष्टीकृत न हों ।		114	बिना गढ़ा हुआ सीसा (अर्जेंटीफेस सीसे सहित), सीसे के अवशेष और कतरन :	78.01
	(2) 19 मि.मि. से अधिक के नॉमिनी छिद्र के ट्यूब, पाइप और ब्लैक्स और होखो छड़े ।			(1) जो अन्यथा कहीं विशिष्टीकृत न हों ।	
101.	तांबे की अन्य वस्तुएं जिसमें बेल्स, टैंक्स, स्टेप्स, हुकनेल्स, स्पाइडर फॉस्स, स्टैंड्स, स्पाइक्स और तांबे के सिर वाले लोहे या इस्पात के ड्राइंग पिन शामिल हैं ।	74.00/19		(2) अभिश्रित सीमा, बिना गढ़ा हुआ ।	
102.	जस्ते के मैट्स, जस्ते के नमूने और जस्ते की धातु के अन्य मध्यस्थ उत्पाद, बिना गढ़ा हुआ जस्ता (इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोड्स को छोड़कर) जस्ते के अवशेष और कतरन ।	75.01	115.	बिना गढ़ा सीसा और सीसे की वस्तुएं ।	78.02/06
103.	जस्ते के तार की बिना गढ़ी हुई सलाखें, छड़ें, ऐन्गल्स, पेप और सेक्सम्स :	75.02	116.	बिना गढ़ा जस्ता, जस्ते के अवशेष और कतरन :	79.01
	(1) जो अन्यथा कहीं विशिष्टीकृत न हों ।			(1) जो अन्यथा कहीं विशिष्टीकृत न हों ।	
	(2) अस्ता क्रोम और अन्य जस्ता मिश्रधातु के विद्युत-रोध तार ।			(2) अभिश्रित जस्ता, बिना गढ़ा हुआ ।	
104.	जस्ते की गढ़ी हुई प्लेटें, सीटें और पट्टियां, जस्ते के फायल, जस्ते के पाउडर और फ्लैक्स ।	75.03	117.	जस्ते की बिना गढ़ी हुई सलाखें, छड़ें, एन्गल्स, शेप्स और सेक्सम्स और जस्ते के तार ।	79.02
105.	जस्ते की अन्य वस्तुएं	75.04/06	118.	जस्ते की बिना गढ़ी हुई प्लेट, शीट और पट्टियां, जस्ते के फायल, जस्ते के पाउडर और फ्लैक्स ।	79.03
106.	बिना गढ़ा हुआ एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम अवशेष और कतरन :	76.01	119.	जस्ते की अन्य वस्तुएं ।	79.04/06
	(1) जो अन्यथा विशिष्टीकृत न हों ।		120.	बिना गढ़ा हुआ टिन, टिन/अवशेष और कतरन :	80.01
	(2) कवचे रूप से एल्यूमीनियम जिसमें हंगाइस, ब्लॉक्स, स्लैब्स, बिलेट्स, वायर बार्स, शाट्स और पैलेट्स शामिल हैं ।			(1) जो अन्यथा कहीं विशिष्टीकृत न हों ।	
107.	एल्यूमीनियम की बिना गढ़ी हुई सलाखें, छड़ें, एन्गल्स, शेप्स और सेक्सम्स, एल्यूमीनियम के तार ।	76.02		(2) अभिश्रित टिन, बिना गढ़ा हुआ ।	
108.	एल्यूमीनियम की बिना गढ़ी हुई प्लेटें, शीटें और पट्टियां, एल्यूमीनियम फायल :	76.03/04	121.	बिना गढ़ा हुआ और टिन की वस्तुएं	80.02/06
	(1) जो अन्यथा कहीं विशिष्टीकृत न हों ।		122.	टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टैंटलम और अन्य बेस धातुएं और बिना गढ़ा हुआ या बिना गढ़ा हुआ परमैट्स और उनकी वस्तुएं :	81.01/04
	(2) अभिश्रित एल्यूमीनियम की बिना गढ़ी हुई प्लेटें, शीटें, पट्टियां और फायल ।			(1) जो अन्यथा कहीं विशिष्टीकृत न हों ।	
				(2) अभिश्रित टंगस्टन, मोलिब्डेनम, टैंटलम और बिना गढ़ी हुई अन्य बेस धातुएं ।	
			123.	पेंसिल शार्पेन्स के लिए औजारों के पुर्जें (बेस धातु के) और इम्पलीमेंट्स और स्पाइरल ब्लेंड्स ।	82.01/04 से 82.08/15
			124.	सभी प्रकार के ताले (हैंडबैग्स, ट्रंक्स या इसी प्रकार की वस्तुओं के लिए ताले वाले फ्रेम्स सहित) और उनके भाग, ताले चाबी, फिटिंग्स और मार्टिनिंग या फर्नीचर, बरबाजों, सीढ़ियों, ब्लाइंड्स, कोच-बर्क, सेडलरी, ट्रंक्स, कैस्केट्स और इसी प्रकार के लिए उप-युक्त (इसमें आटोमैटिक डोर क्लोजर शामिल हैं), हैंड-रैक्स, हैंड पैग्स, ब्रीकेट्स और इसी प्रकार के लेम्स	

1

2

3

1

2

3

और लाइटिंग फिटिंग्स और उनके पुर्जों (अध्याय 85 में आने वाली वस्तुओं को छोड़कर), फिटिंग्स (उदाहरणार्थ क्लास्स बक्लस, पुस्तकें, भाइज और आइलैंड्स) क्लोथिंग, यात्रा सामान हैंड बैग्स या अन्य वस्त्र या जूते के सामान, ट्रूबलर राइबेड्स और बाइफरकेटिड राइबेड्स के लिए सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली।	84.01/02 से 84.60 और 84.65	84.01/02 से 84.60 और 84.65
125. शीर्षक सं० 84.01 से 84.65 के अंतर्गत आने वाली मशीनों के पुर्जों और उपसाधित्र, मशीनी उपकरण		
126. पाइप्स, बॉयलर शील्स, टैंक्स, बैट्स और इसी प्रकार के लिए टैंक्स, कॉक्स, वाल्व्स और इसी प्रकार के उपकरण इसमें फोसर कम करने के वाल्व्स और बमों-स्टेटीकली कंट्रोलडवाल्व्स भी शामिल हैं।	84.61	84.61
127. बॉल रोलर या मीडल रोलर बेयरिंग्स		
128. ट्रांसमिशन शीफ्टस, त्रैक्स बेयरिंग्स हाउसिंग्स, प्लेन शीफ्ट बेयरिंग्स, गियर्स और गियरिंग (इसमें क्रिकशन गियर्स और गियर बॉक्सज और अन्य विभिन्न स्पीड गियर्स शामिल हैं (प्लाइ व्हील्स, पल्सीज और बल्ली ब्लॉक्स, क्लचज और शीफ्ट कप-लिंग्स।	84.62	84.63
129. गार्मेट्स और अन्य जोड़ या अन्य सामग्री से जुड़ी हुई धातु शीटिंग (उदाहरणार्थ एस्बीस्टोस, फ़ैल्ट और पेपर बोर्ड) या लेमिनेटड मेटल कॉयलकी, गार्मेट्स के सेट या इसी प्रकार के जोड़ संरचना में अलग जोड़जन, पाइप्स ट्रूबलर और इसी प्रकार के लिए हों, ब्रॉथिंग, लिफाफों या इसी प्रकार की पैकिंग में रखे हुए हों।		
130. बिजली की मशीनरी और उपस्कर, उनके पुर्जों	85.01 से 85.28	85.01 से 85.28
131. रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक के पुर्जों, रेलवे और ट्रामवे ट्रैक फिक्सचर्स और फिटिंग्स, मशीनी उपस्कर, जो सिगनल देने या सड़क रेल या अन्य वाहनों, पानी के जहाजों या वायुयानों पर नियंत्रण रखने के लिए बिजली से न चलते हों, फोरगोइंग फिक्सचर्स, फिटिंग्स या उपस्कर के भाग।		
132. शीर्षक सं० 87.01 से 87.09/12 में आने वाले वाहनों के भाग और उपसाधित्र	87.04/06 और 87.09/12	87.04/06 और 87.09/12
133. पानी के जहाजों, मावों और तैरने वाले वाहनों के भाग।		
134. बस्त्रों के भाग, फोटोग्राफिक, सिने सिनेमाटोग्राफिक मापक, बैकिंग, चिकित्सा और सज्जक उपकरण और उपसाधित्र।	90.01 से 90.29	90.01 से 90.29
135. निम्नलिखित वस्तुओं के बाज मूवमेंट्स सहित उनके पुर्जों—सभी प्रकार की दीवार घड़ियाँ और हाथ-		
घड़ियाँ, समय या दिन रिकार्ड करने के उपसाधित्र, दीवार घड़ी या हाथ घड़ी मूवमेंट उपसाधित्र या साइन-क्रोनस मोटर सहित, मापने, रिकार्ड करने के लिए, भ्रम्यता रूप में समय के अन्तराल से दर्शाने के लिए बीवार घड़ी या हाथ की मूवमेंट के साथ टाइम स्विच या साइनक्रोनस मीटर के साथ	92.01/13	92.01/13
136. ग्रामोफोन, डिक्टेटिंग मशीनों और अन्य साउन्ड रिकार्डर्स और रिप्रोड्यूसर्स, साउन्ड हैंड सहित या रहित रिकार्ड प्लेयर्स और टेपडेक्स सहित, टेलीविजन इमेज और साउन्ड रिकार्ड्स और रिप्रोड्यूसर्स, मैग्नेटिक।		
137. फर्नीचर के पुर्जों, संघटक और उपसाधित्र जिसमें चिकित्सा वस्तु, शल्य या पशु चिकित्सा संबंधी फर्नीचर शामिल हैं।	94.01/04	94.01/04
138. पुर्जों, बिलीनों, खेलों, और स्पॉर्ट्स संबंधी जरूरतों के संघटक।		
139. बटन और बटन साउल्डर्स, स्ट्रिप्स, कफलिक्स और प्रेस फास्टनर्स, जिसमें स्नैप फास्टनर्स, जिप-फास्टनर्स (स्लाइड फास्टनर्स) और प्रेस स्ट्रिप्स, ब्लैक्स और ऐसी ही वस्तुओं के पुर्जों।	98.01/02	98.01/02
[मिगिल सं० : 602/15/83-डी० पी० के०]		
MINISTRY OF COMMERCE IMPORT TRADE CONTROL Public Notice No. 10-ITC(PN)/83 New Delhi, the 15 April, 1983 Subject : Import and Export Policy for April, 1983-March, 1984 (File No. IPC/3/1/83)—The Import & Export Policy for April, 1983-March, 1984 is contained in the Appendix-I to this Public Notice. 2. The errata/corrections as contained in Appendix-II to this Public Notice, shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated against each. ROMA MAZUMDAR, Chief Controller Appendix-II to the Ministry of Commerce Public Notice No. 10—ITC(PN)/83 dated 15-4-1983		
Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1983-84, (Volume-I)	Reference Errata/Corrections
1	2	3 4
1. 28	Chapter 14 Sub-Para 93(3)	The following shall be added at the end:—"Import of secondhand (used) capital Goods other than those covered by Appendix 2, will also require specific import licence."

1	2	3	4	(1)	(2)	(3)
2.	130	Appendix-5	After the existing entry No. 397 the following entry shall be added:— “397(A):— (i) Copper and Copper alloys in the form of plain sheets wider than 1200 mm and foils of thickness below 0.06 mm. (ii) Copper and Copper alloys plates, sheets (less than 1200 mm width) strips, foils of thickness 0.06 mm and above for automobile radiator manufacturing and Horological applications”.	2. Fruits—Peel of melonscitru sfruit—fresher or preserved.		08.01/13 or 20.01/07
				3. Mate and Spices.		9.02/03 & 9.04/10
				4. Malt, Starches and gluten.		11.03/09
				5. Oil seeds and oleaginous fruit whole orbroken:		12.01
				(1) Not elsewhere specified.		
				(2) Copra		
				6. Floursor meals of oil seeds or oleaginous fruit, non-defatted (excluding mustard flour).		12.02
				7. Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.		12.03
				8. Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered; sugar cane; hop cones and lupulin.		12.04/06
				9. Plants and parts (including seeds and fruit) of trees, bushes, shrubs or other plants, being goods of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, dried, whole, cut, crushed, ground or powdered.		12.07
				(1) Not elsewhere specified.		
				(2) Goods used primarily in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal, or similar purposes.		
				10. Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other natural mucilages and thickeners, derived from vegetable products.		13.03
				11. Fats of bovine cattle, sheep or goats, unrendered; rendered or solvent-extracted fats (including “premier jus”) obtained from those un-rendered fats. Fats and oils, of fish and marine animals whether or not refined. Fatty acids; acid oils from refining; fatty alcohols; glycerol and glycerine.		15.01/06 and 15.08/13
				12. Linseed oil; non-edible vegetable oils.		15.07
				13. Sugar.		17.01
				14. Cocoa and coca preparations (for example, cocoa beans, shells, husks, skins and waste, cocoa paste, cocoa butter (fat or oil), cocoa powder, chocolate and other food preparations (containing cocoa).		18.01/06
				15. Malt extracts.		19.01/03
				16. Unmanufactured tobacco.		24.01
				17. Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur. Asbestos, crude natural borates and concentrates thereof (calcined or not) but not including borates separated from natural boric acid containing not more than 85% of H3 BO3 calculated on the dry weight; rutile sand.		25.01/32
				18. Metallic ores and concentrates; roasted iron pyrites.		26.01
				(1) Not elsewhere specified.		
3.	177	Appendix-10	The word “Cork” appearing in this entry shall read as “Cock”.			
4.	245-247	Appendix 19 Annexure I	The existing “First Schedule” shall be substituted by Annexure I to Appendix II of this Public Notice.			
5.	264	Appendix 19 Annexure V	The following shall be added after the existing description:— “(relevant item)”.			
		Approved Input-Output norms				
		Sl. No. 42(a), Col. 3, item (lii)				
6.	293	Appendix 29	The words and figures			
		Duty Free	“No. 142/F.No. 602/8/82-			
		Imports	DBK dated 5-4-1982 (as			
		against REP	amended)” shall read:—			
		licences				
		Para 1	“dated 15-4-1983”			
7.	294	Appendix 29	The existing Customs Notifi-			
		Annexure I	cation shall be substituted by			
		(Copy of	Annexure II to Appendix II			
		Customs	of this Public Notice.			
		Notification)				
8.	295	Appendix 29	The existing PART A shall			
		Annexure II	be substituted by Annexure III			
		PART A	to Appendix II of this Public			
			Notice.			

ANNEXURE I TO APPENDIX II OF MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 10-ITC (PN)/83 Dt. 15-4-1983
“THE FIRST SCHEDULE”

Sl. No.	Description of the goods	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975
(1)	(2)	(3)
1.	Ivory, Unmanufactured.	05.01/15

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	(2) Antimony ore and concentrates.			(2-Naphthyl Amino-5 Hydroxy-7-Sulphonic Acid), J-Acid urea, Aceto-acet-Anilide, Aceto-Acet-O-O-Chloro-Anilide, Aceto-Acet-O-Chloro-Anilide, Aceto-Aceto-O-Toluidine, Aceto Acetic Ester (Ethyl/Methyl).	
	(3) Tungsten ore and concentrates.			I-Amino-anthraquinone.	
	(4) Zinc ore and concentrates.			2-Amino-anthraquinone.	
19. Slag ash and residues containing metals or metallic compounds.	26.02/04			(Beta-Amino-Anthraquinone)	
20. Impregnating pitch, binder pitch, mineral waxes, raw petroleum coke and calcined petroleum coke.	27.08, 27.12/13 & 27.14/16			O-Amino Azo Toluene.	
21. Chemical elements, inorganic chemical compounds and other products as specified in Notes 1 and 2 of C.T.A. Heading 28-01/58.	28.01/58			(2, 3-Dimethyl-4-Amino-Azo-Benzene or 4-Ortho-toluyazo-Ortho-Toluidine), Amino ISO G-Acid.	
(1) Not elsewhere specified.				I-Amino-6-Nitro-2-Naphthal-4-Sulphonic Acid, Anthraquinon/Beta Naphthalene.	
(2) Aluminium fluoride.				Thioglycolic Acid.	
(3) Aluminium oxide.				(2-Naphthyl Thioglycolic Acid),	
(4) Bleaching paste and bleaching powder.				Beta Naphthol,	
(5) Borax and boric acid.				Benzidine sulphate/Benzidine Dihydrochloride, Benzoyl J-Acid.	
(6) Carbon (including carbon black).				(2-Benzoyl Amino 5-Naphthol-7-Sulphonic Acid), Chicago Acid.	
(7) Cruolite synthetic.				4-Chloro-2-Anisidine.	
(8) Iodine in crude form.				M-Chloro Aniline,	
(9) Mercury (excluding A.R.B.P., U.S.P. or equivalent grade of purity in containers holding 500 grams or less.				O-Chloro Aniline,	
(10) Silicon.				P-Chloro Aniline.	
(11) Sodium hydrosulphite.				4-Chloro-2-Nitro Anisole,	
(12) Titanium Dioxide.				4-Chloro-2-Nitro Aniline,	
(13) The following products, namely:				M-Chloro-Para-Xylene,	
Acids, not elsewhere specified.				4-Chloro-O-Toluidine,	
Air (Compressed or liquid), Alums, amalgams, Ammonia, Anhydrous, Arsenic, Azides, Bicarbonates of soda, Borides, Cadmium sulphide, Carbides (for example Silicon Carbide, Boron Carbide, Metal Carbides), Chrome compounds, Corundum, Cobalt oxide, artificial Green copper as (Ferrous sulphate), Hydrides, Lead Compounds, Magnesium compounds (other than Magnesium oxide, whether or not chemically pure), Nitrides, Potassium compounds, Selenium, Silicides, Soda ash, Sodium Cyanide, Sodium silicate, Uranium oxide, Zinc compounds.				5-Chloro-O-Toluidine,	
22. Organic compounds, including antibiotics, Hormones, sulpha drugs, vitamins and other products specified in notes 1 and 2 of CTA Heading 29.01/45	29.01/45			2:5 Dichloro Aniline.	
(1) Not elsewhere specified.				1:4 Diamino Anthraquinone,	
(2) Acid cresylic.				1:5 Diamino-Anthraquinone,	
(3) The following alcohols, namely, Isopropyl, alcohol, methyl alcohol, propyl alcohol.				2:5 Dichloro Nitro Benzene,	
(4) The following hydrocarbons, namely, benzene, ethyl benzene, toluene, xylene.				2:5 Dimethyl-4-Chlorophenyl-Thioglycolic Acid Dimethyl Sulphate, Dinitro-Stilbene Disulphonic Acid. (4,4/Dinitrostilbene-2/Disulphonic Acid), Gamma Acid.	
(5) The following dye intermediates, namely, C-Acid (2-Chloro-5 Toluidine-4 Sulphonic Acid), or 6-Chloro-M-Toluidene-4, Sulphonic Acid), H-Acid, I-Acid				Meta-Phenylene Diamine,	
				Meta-Toluyene Diamine,	
				Nevil Winther Acid,	
				M-Nitro-Aniline,	
				O-Nitro-Aniline,	
				P-Nitro Anisole,	
				P-Nitrosophenol (I-Hydroxy-4-Nitro Benzene), Ortho Anisidine, Ortho Nitro-Toluene, Ortho Toluidine,	
				M-Nitro-P-Toluidine (MNPT),	
				Para Anisidine, Para Nitro Aniline,	
				Para Nitro Toluene, Para Nitro-Toluene-Ortho-Sulphonic Acid,	
				Para Nitro-Toluene-Ortho-Sulphonic Acid (Toluene-4-Nitro-2-Sulphonic Acid or Benzene-1-Methyl-4-Nitro-2-Sulphonic Acid), Para Toluidine,	
				Para Toluidine Meta Sulphonic Acid,	
				Phenyl J, Acid, (2-Phenylamino-5 Naphthol-7-Sulphonic Acid or 2-Phenylamino-5-Hydroxy Naphthalene-7-Sulphonic Acid),	
				Perl Acid	
				Rhodulline Acid, G-Salt, R-Salt	

1	2	3	1	2	3
	(2-Naphthal-3, 6-Disulphonic Acid, Sodium Salt), Schaefer's Acid (2-Naphthol-6-Sulphonic Acid,) Sodium Naphthionate/ Naphthionic Acid, Sulphaniline Acid, Tobins Acid (2-Naphthyl Amine-1-Sulphonic Acid), Trichloro Benzene,		23.	Organo-therapeutic glands or other organs, dried whether or not powdered; organotherapeutic extracts of glands or other organs or of their secretions; other animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included.	30.01
(6)	The following intermediates, namely, Diamino Stilbone, Disulphonic Acid (4, 4/Diamino Stilbone-2, 2/Disulphonic Acid, Diethyl Meta Amino Phenol (Meta-Di-Ethylamino Phenol), Metanilic Acid, Ortho-Toluidine, Phenyl peri Acid (Phenyl-Amino Naphthalene 8-Sulphonic Acid), Quinizarine (1,4-Dihydroxy-Anthro-Quinone),		24.	Antisera; microbial vaccines, toxins, microbial cultures including ferment (but excluding yeasts) and similar products.	30.02
(7)	Fast colour bases ordinarily used as coupling components.		25.	Medicament (including veterinary medicaments):	30.03
(8)	Fast colour salt.			(1) Not elsewhere specified.	
(9)	Naphthols ordinarily used as coupling components.			(2) Medicaments containing spirit.	
(10)	The following compounds namely, Acid not elsewhere specified, acetic acid, carbolic acid (Phenol), citric acid, tartaric acid, rennet essence.		26.	Wadding gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in retail packings for medical or surgical purposes; sterile surgical suture materials and other pharmaceutical goods specified in note C.T.R. Heading 30.04/05.	30.04/05
(11)	Aromatic chemicals, namely, such organic chemicals as are ordinarily used for imparting aroma to perfumery, cosmetics, toilet product, food products, and beverages.		27.	Tanning extracts of vegetable origin, tanning (tannic acids) and their derivatives, synthetic organic tanning substances, and inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning materials, enzymatic preparations for pre-tanning (for example, of enzymatic, pancreatic, or bacterial origin).	32.01/03
(12)	Insecticide. Pesticide and fungicide chemicals.			(1) Not elsewhere specified.	
(13)	Pharmaceutical chemicals that is chemicals having prophylactic or therapeutic value and used solely or predominantly as drugs, not elsewhere specified.			(2) Gambier.	
(14)	The following pharmaceutical chemicals, namely, Cocaine, alkaloids of opium and their derivatives, alkaloids of cinchona and other alkaloids which are chemically identical with cinchona alkaloids.			(3) Mineral tanning and tanning extracts of vegetable origin other than gambier.	
(15)	Antibiotics.		28.	Colouring matter; synthetic organic dyestuffs (including pigment dye-stuffs); products of a kind used as liminophores; optical bleaching agent substantive to the fibre, prepared pigments and prepared opacifiers; prepared driers, (glass frit and other glass in the form of powder granules or flakes; stamping foils;	32.04/12
(16)	Sulpha Drugs.			(1) Not elsewhere specified.	
(17)	Vitamins.			(2) Pigment dyestuffs.	
(18)	Saccharine and such other substances as the Central Government may by notification in the official gazette declare to be of a like nature or use to saccharine, and intermediates used in the manufacture of saccharine or such other substances and notified by the Central Government as aforesaid.			(3) Synthetic organic dyestuffs, not elsewhere specified.	
(19)	Laboratory chemicals, organic and inorganic, as defined in note CTA Heading 29.01/45.			(4) Azo Dyes.	
(20)	Caprolactum and dimethyl Terephthalate			(5) Sulphur Dyes.	
(21)	Campher.			(6) Vat dyes including solubilized vats.	
				(7) Optical bleaching agent.	
			29.	Essential oils, natural or synthetic; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils, including such production suitable for medical uses; concentrates and absolutes; resinoids; perfumery, cosmetic and toilet preparations, room deodorisers:	33.01/06
				(1) Not elsewhere specified.	
				(2) Natural essential oils of citronella, cinnamon and cinnamon leaf.	

1	2	3	1	2	3
30.	Lubricating preparations and preparations of a kind used for oil or grease treatment of textiles, leather or other materials, but not including preparations containing 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. Artificial waxes (including water soluble waxes); prepared waxes, not emulsified or containing solvents and sodium lauryl sulphate; sodium lauryl other sulphate.	34.01/07		natural rubber (for example, chlorinated rubber, rubber hydrochloride, oxidised rubber, cyclised rubber), other high polymers, artificial resins and artificial plastic materials, including alginic acid, its salts and esters; linexyn.	
31.	The following substances, and their derivatives, namely, casein, albumins, gelatin (whether or not cloured or surface-worked) peptones and other protein substances; isinglass; hide powder; dextrings; soluble or roasted starches; enzymes, prepared enzymes and glucos not elsewhere specified or included: (1) Not elsewhere specified. (2) Gelatin, refined.	35.01/07	35.	Articles of the materials described in Heading No. 39.01/06.	39.07
32.	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms.	36.01/08	36.	Raw rubber, natural or synthetic, rubber latex, natural or synthetic (including mixtures thereof) whether or not pre-vulcanised; Balata, gutta-percha and similar natural gums, factice derived from oils; reclaimed rubber; waste and scrap of unhardened rubber.	40.01/04
33.	Chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included, residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included: (1) Not elsewhere specified. (2) Activated Carbon. (3) Anti-knock preparations and prepared additives for mineral oils. (4) Artificial Graphite. (5) Compound catalysts. (6) Plasticisers not elsewhere specified. (7) Prepared rubber chemicals. (8) Stockholm Tar, refined. (9) Water treatment chemicals, not elsewhere specified.	38.01/19	37.	Preparations (including master batches) of natural or synthetic rubber; manufactures of natural or synthetic rubber, whether or not vulcanised or hardened, not elsewhere specified; vulcanised rubber thread and cord, whether or not textile covered, and textile thread covered or impregnated with vulcanised rubber; waste and scrap of hardened rubber; (1) Not elsewhere specified. (2) Rubber tyres and tubes for wheels of all kinds. (3) Transmission, conveyor or elevator belts or belting of vulcanised rubber.	40.05/16
34.	Condensation, polycondensation and poly-addition products, whether or not modified or polymerised, and whether or not linear (for example, phenoplasts, aminoplasts, alkyds, polyallyl-esters and other unsaturated polyester, silicones); polymerisation and co-polymerisation products (for example, polyethylene, polytetrahaloethylenes, polyisobutylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl chloroacetate and other polyvinyl derivatives, polymethacrylic derivatives, coumaroneindene resins); regenerated cellulose; cellulose nitrate, cellulose acetate and other cellulose esters, cellulose ethers and other chemical derivatives of cellulose, plasticised or not (for example, collodions, celluloid); vulcanised fibre; hardened proteins (for example, hardened casein and hardened gelatine); natural resins modified by fusion (run gums); artificial resins obtained by esterification of natural resin or of resinic acids (ester gum); chemical derivatives of	39.01/06	38.	Raw hides and Skins (fresh, salted, dried, pickled or limed), whether or not spilt, including sheep-skins in the wool.	41.01
			39.	Bovine cattle leather (including buffalo leather) and equine leather; sheep and lamb skin leather, other kinds of leather including composition leather; parings and other waste of leather or of composition leather.	41.02/10
			40.	Furskins and artificial fur and articles made thereof.	43.01/04
			41.	Wool in the rough/fuel wood waste and wood charcoal; wood flour and wood wool; sawn and dressed timber; veneered wood, plywood, cellular wood, improved wood and reconstituted wood; fibre, building board of wood or other vegetable material, whether or not bonded with natural or artificial resins or with other organic binders; spools, bobbins and the like of turned wood; articles of wood, not elsewhere specified: (1) Not elsewhere specified. (2) Fibre building board of wood or other vegetable material, whether or not bonded with other organic binders.	44.01/28
			42.	Natural or agglomerated cork and articles thereof, waste cork.	45.01/04
			43.	Rayon grade wood pulp	47.01
			44.	Paper and paper board, all sorts, whether in rolls, sheets or cut to size or shape (including cellulose wadding, composite paper or paper board and impregnated coated, corrugated,	48.01/21

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	embossed, perforated, surface coloured or decorated, ruled or printed paper or paper board); filter blocks, slabs and plates of paper pulp; stationery made of paper or paper-board; articles not elsewhere specified, of paper, paper board; paper pulp or cellulose wadding:		62. Accessories for umbrellas		66.01/03
	(1) Not elsewhere specified.		63. Friction materials (segments, discs, washers, strips, sheets, plates, rolls and the like) of a kind suitable for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials.		68.01/16
	(2) Newsprint containing mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre, content (excluding chrome, marble, flint, poster, stereo and art paper).		64. Glass and glass ware, including containers for the conveyance of packing of goods, envelopes for electric lamp, electronic valves or the like, inners for vacuum flasks, articles of stationery, illuminating glassware, optical glass, clock and watch glasses and bricks, tiles, slabs and similar articles of a kind commonly used in building.		70.01/16
	(3) Other printing and writing paper.		65. Laboratory, hygienic and pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated; glass ampoules; optical glass and elements of optical glass, other than optically worked elements, blanks for corrective spectacle lenses.		70.17/18
45. Transfers (Decalcomanias)		49.08/11	66. Glass beads, imitation pearls, imitation precious and semi-precious stones, and similar fancy or decorative glasswares, and articles of glassware made therefrom, glass cubes and small glass plates for decorative purpose; articles eyes of glass excluding those for wear by humans; ornaments and other fancy articles of lamp worked glass; glass grains (ballotini).		70.19
46. Mulberry raw silk of all grades including dupion		50.02	67. Glass fibre (including wool) yarns, fabrics and articles made therefrom.		70.20
47. Spun silk yarn and noil yarn		50.03/08	68. Other articles of glass		70.21
48. Yarn of man-made fibre (continuous); monofil, strip (artificial straw and the like) and imitation catgut of man-made fibre materials.		51.01/03	69. Industrial diamonds and synthetic diamond powder		71.02 and 71.04
49. Woven fabrics man-made fibre (continuous), including woven fabrics of monofiler strips of Heading No. 51.01/03.		51.04	70. Pig-iron, cast iron and spiegeleisen, in pigs, blocks, lumps and similar forms.		73.01
50. Wool and other animal hair yarn/woven fabrics of sheep's or lam's wool.		53.01/05, 53.06/10 and 53.11/13	71. Ferro-alloys		73.02
51. Flax and ramie		54.01/02 and 54.03/04	72. Waste and scrap metal, shot and angular grit (whether or not graded); wire pellets, iron or steel powders; sponge iron or steel.		73.03/05
52. Mixed/blended fabrics manufactured out of man-made fibre/yarns in which cotton predominates in weight, cotton denim/corduroy fabrics; and cotton Heavy Sheeting/cotton drill/cotton canvas with weight per Sq. yard not less than 100z.		55.07/09	73. Puddled bars, pilings, ingots, blocks, lumps and similar forms, blooms, billets, slabs and sheet bars (including tinplate bars) of iron or steel; pieces roughly shaped by forging, of iron or steels:		73.06/07
53. Man-made fibres (discontinuous) and waste (including yarn waste and pulled or garnetted rags) of man-made fibres (continuous or discontinuous) whether or not carded or combed or otherwise prepared for spinning; continuous filament tow.		56.01/04	(1) Not elsewhere specified.		
54. Yarn of man-made fibre (discontinuous or waste).		56.05/06	(2) Pieces roughly shaped by forging of iron or steel.		
55. Woven fabrics of man-made fibres (discontinuous or waste).		56.07	74. Iron or steel coils for re-rolling		73.08
56. Hemp (manila) and sisal fibres		57.01/04	75. Universal plates of iron or steel		73.09
57. Wadding and felt including articles thereof; special fabrics, impregnated and coated fabrics, textile articles of a kind and suitable for industrial use.		59.01/15	76. Bars and rods (including wire rod), of iron or steel, hot rolled, forged, extruded, cold-formed or cold-finished (including precision made); hollow mining drill steel.		73.10
58. (Knitted or crocheted fabrics, whether or not elastic or rubberised); under garments, and outer garments, gloves, stockings and the like, knitted or crocheted, or made of knitted or crocheted fabrics.		60.01/06	77. Angles, shapes and sections, of iron or steel, hot rolled, forged, extruded, cold-formed or		73.11
59. Clothing accessories for articles of apparel		61.01/11			
60. Cotton petit bags		62.01/05			
61. Parts of footwear and gaiters and the like		64.01/06			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	cold-finished; sheet piling of iron and steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements.			twisted double wire of kinds used for fencing, of iron or steel.	
78.	Hoop and strip, or iron of steel, hot rolled or cold-rolled.	73.12	90.	Gauge, cloth, grill, netting, fencing reinforcing fabrics and similar materials, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel.	73.27/28
79.	Sheets and plates, of iron or steel, hot rolled or cold-rolled:	73.13	91.	Chain and parts thereof of iron or steel:	73.29
	(1) Not elsewhere specified.			(1) Not elsewhere specified.	
	(2) Tinned sheets and plates.			(2) Mooring chains.	
80.	Iron or steel wire, whether or not coated but not insulated.	73.14	92.	Anchors and grapnels and parts thereof, of iron or steel.	73.30
81.	Alloy steel and high carbon steel in the forms mentioned in heading Nos. 73.06/07 to 73.14:	73.15	93.	Nails, tracks, staples, hook-nails, corrugated nails, spiked cramps, studs, spikes and drawing pins, of iron or steel, whether or not with heads or materials, but not including such articles with heads of copper.	73.31
	(1) Not elsewhere specified.		94.	Bolts and nuts (including bolt ends and screws studs) whether or not threaded or tapped, and screws (including screw hooks and screw rings), of iron or steel: rivets, cottors, cottor-pins, washers and spring washers, of iron or steel.	73.32
	(2) Coils for re-rolling bars (including bright bars), rods, wire rods, strips, sheets and plates of stainless steel.		95.	Other articles of iron or steel	73.33/40
82.	Railway and tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails, switch blades, crossings (or frogs), crossing pieces, point rods, rack rails, sleepers, fish plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bed plates, ties and other material specified for joining or fixing rails.	73.16	96.	Copper matte; unwrought copper (refined or not); copper waste and scrap; master alloys.	74.01/02
83.	Tubes and pipes and blanks therefore, of iron or steel:	73.17/19	97.	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections of copper; copper wires:	74.03
	(1) Not elsewhere specified.			(1) Not elsewhere specified.	
	(2) Drilling and pipes and blanks therefor.			(2) Bars, rods, angles, shapes, sections and wire of unalloyed copper.	
	(3) Tubes and pipes for boilers falling within Heading No. 84.01/02 and blanks therefor.		98.	Wrought plates, sheets, strip and foil of copper	74.04/05
	(4) Tubes and pipes sheathed or lined with corrosion-resisting materials, such as glass, rubber and plastic.		99.	Copper powder and flakes	74.06
84.	Tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, unions and flanges), of iron or steel.	73.20	100.	Tubes and pipes and blanks therefor, of copper; hollow bars of copper; tube and pipe fittings (for example, joints, elbows sockets and flanges), of copper:	74.07/08
85.	Structures and parts of structures (for example hangers and other buildings, bridges and bridge-sections, lock gates, towers, lattice masts, roofs, roofing-frameworks, door and window frames, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, strips, rods, angles, shapes sections, tubes and the like, prepared for use in structures of iron or steel.	73.21		(1) Not elsewhere specified	
				(2) Tubes and pipes and blanks therefor, and hollow bars, of nominal bore exceeding 19 millimeters.	
86.	Reservoirs, tanks, vats, casks, drums, cans, boxes and similar containers for any material (other than compressed or liquified gas), of iron or steel.	73.22/23	101.	Other articles of copper including nails, tacks, staples, hooknails, spiked cramps, studs, spikes and drawing pins of iron or steel with heads of copper.	74.09/19
87.	Containers of iron or steel, for compressed or liquified gas.	73.24	102.	Nickel mattes, nickel spess and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel (excluding electro-plating anodes); nickel waste and scrap.	75.01
88.	Stranded wire, cables, cordage, ropes, plaited bands, slings and the like, of iron or steel wire, but excluding insulated electric cables.	73.25	103.	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections of nickel wire:	75.02
				(1) Not elsewhere specified	
				(2) Electrical resistance wires of nickel chrome and other nickel alloys.	
89.	Barbed iron or steel wire; twisted hood or single flat wire, barbed or not, and loosely	73.26	104.	Wrought plates, sheets and strip, of nickel; nickel foil; nickel powders and flakes.	75.03
			105.	Other articles of nickel	75.04/06

[illegible]

(1)	(2)	(3)
136. Parts, components and accessories of gramophones, dictating machines and other sound recorders and reproducers, including record-players and tape decks, with or without sound heads; television image and sound recorders and reproducers magnetic.	92.01/13	
137. Parts, components and accessories of furniture including medical, dental, surgical or veterinary furniture.	94.01/04	
138. Parts, components of toys, games and sports requisites.	97.01/08	
139. Buttons and button moulds, studs, cufflinks, and press-fasteners, including snap-fasteners, zip-fasteners (slide fasteners) and press-studs; blanks and parts of such articles.	98.01/02	

[File No. 602/15/83-DBK]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अप्रत्यक्ष कर विभाग

संख्या / 83-सीमा शुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1983

सी० एस० आर० सं० —सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के खंड 25 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार प्रस्तुत अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विशिष्टीकृत माल का भारत में आयात होने पर और उस आयात पर उगाहे जाने वाले कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में निदिष्ट पूर्ण सीमा शुल्क से और उक्त अधिनियम के खंड 3

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 10-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 15-4-1983 के परिशिष्ट 2 के लिए अनुबन्ध 3

भाग-क

मव सं०	निर्यात उत्पाद का ब्यौरा	परिशिष्ट 17 की संगत क्र० सं	कर मुक्त आयात के लिए अनुमित मर्दों का ब्यौरा	कर-मुक्त आयात के लिए अनुमित मर्दों की मात्रा	आयात प्रतिपूर्ति की प्रतिशतता	संगत निर्यात उत्पाद की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्टैनलेस स्टील के बर्तन, सिफस और हॉर्नस्पिटल बेयर (गैर-मैग्नेटिक)	क्यू० 1	स्टैनलेस स्टीलस्ट्रिप्स/शीट्स/कायल्स (गैर-मैग्नेटिक)	1.15 कि० ग्रा०	50%	1 कि० ग्रा०
2.	जंगावरोधी हस्पात /चाकू	क्यू० 1	स्टैनलेस स्टील शीट्स/बायर्स और रोड्स	1.60 कि० ग्रा०	50%	1 कि० ग्रा०
3.	जंगावरोधी हस्पात के चमचे/थाकू	क्यू० 1	जंगावरोधी हस्पात शीट्स/स्ट्रिप्स/छड़ें सरिए/कार्बन स्टील	1.30 कि० ग्रा०	50%	1 कि० ग्रा०

के अधीन उस पर उगाहे जाने वाले पूर्ण अतिरिक्त कर से एतद् द्वारा छूट प्रदान करती है।

किंतु शर्त यह होगी कि आयातक आयात (नियंत्रण), आदेश, 1955 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1983 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयात नीति के परिशिष्ट 29 के अनुसार जारी किए गए और जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निम्न-लिखित पृष्ठांकन वाला आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(क) अप्रैल, 1983-मार्च 1984 की आयात नीति के परिशिष्ट 29 के अनुसार आर ई पी लाइसेंस के मद्दे मुक्त-मुक्त आयात,

(ख) उक्त लाइसेंस के अंतर्गत आयात के लिए अनुमित उक्त माल की मात्रा और मूल्य, और

(ग) जिस निर्यातित उत्पाद के मद्दे उक्त लाइसेंस के अधीन उक्त माल के आयात की अनुमति दी जाएगी उसका विवरण।

अनुसूची

- जंगावरोधी हस्पात की चद्दरें या पट्टियों या गुच्छे (प्रचुम्बकीय)
- जंगावरोधी हस्पात की चद्दरें या पट्टियां या सलाखें और छड़ें।
- ताप वैल्वित कार्बन हस्पात की चद्दरें/पट्टियां/गुच्छे (उच्च कार्बन हस्पात से भिन्न)
- जस्ता
- स्पन सिलक यार्न
- नोडल यार्न (सिलक)
- कच्चा ऊन या ऊन टापर या ऊनी धागा
- कच्चा ऊन, 48 एस और इससे कम का
- पीतल का कतरन
- प्लास्टिक का कच्चा माल (पी० डी० सी० से भिन्न)
- उच्च कार्बन हस्पात
- सभी श्रेणियों के गहवूत के कच्चे रेशम (रुपियन यार्न से भिन्न)
- गहवूत का रुपियन यार्न
- सिन्थेटिक वेस्ट
- सिमलेस वास/विलेडस/ब्लूमस
- एल्यूमीनियम की सिल्लियां/एल्यूमीनियम की छड़ें
- हार्ड कार्बन हस्पात की तार छड़ें

(मि० सं० 602/83-डी की के)

1	2	3	4	5	6	7
4.	जस्तीकृत स्टील पाइप्स/ट्यूब्स	ए० 7(1)	(1) हाट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स (हार्ड कार्बन स्टील से भिन्न) (2) जस्ता	0.9765 कि० ग्रा० 0.07 कि० ग्रा०	70%	1 कि० ग्रा०
5.	जस्तीकृत वायर्स और शीट्स (चाहे कारगेटिड हैं या नहीं)	ए० 7(2)	जस्ता	0.04 कि० ग्रा०	10%	1 कि० ग्रा०
6.	स्टील पाइप्स और ट्यूब्स (ब्लैक)	ए० 7(1)	हाट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स (हार्ड कार्बन स्टील से भिन्न)	1.05 कि० ग्रा०	70%	1 कि० ग्रा०
7.	100% स्पन सिल्क फैब्रिक	के० 7(1)	स्पन सिल्क यार्न	1.11 कि० ग्रा०	20%	1 कि० ग्रा०
8.	100% नायलॉन/यार्न सिल्क फैब्रिक	के० 7(1)	नायलॉन यार्न (सिल्क)	1.19 कि० ग्रा०	20%	1 कि० ग्रा०
9.	बुपयिन बस्त्र से भिन्न 100% शहतूत के कच्चे रेशम से बस्त्र	के० 7(1)	सभी श्रेणियों के शहतूत के कच्चे रेशम (बुपयिन यार्न से भिन्न)	1.35 कि० ग्रा०	20%	1 कि० ग्रा०
10.	100% शहतूत बुपयिन रेशम के बस्त्र	के० 7(1)	शहतूत के बुपयिन यार्न	1.35 कि० ग्रा०	20%	1 कि० ग्रा०
11.	सिल्क कारपेट	के० 8(1)	स्पन सिल्क यार्न	स्पन 1.15 कि० ग्रा०	40%	1 कि० ग्रा०
12.	होजरी/बूल से पूर्णतया निर्मित निटवियर की सबें	ओ 2	(1) कच्चा ऊन, या (2) ऊन टाप्स, या (3) ऊनी घागा	1.25 कि० ग्रा० 1.17 कि० ग्रा० 1.10 कि० ग्रा०	40% 40% 40%	1 कि० ग्रा० 1 कि० ग्रा० 1 कि० ग्रा०
13.	हैंड नोटिड बॉवन बूलन कारपेट	के० 5(2)	कच्चा ऊन 48 एस और उससे कम	0.30 कि० ग्रा०	30%	1 कि० ग्रा०
14.	ब्रास आर्टबेयर	एच० 1	ब्रास स्कैप	1.01 कि० ग्रा०	40%	1 कि० ग्रा०
15.	ब्रास फिटिंग्स	ए० 17	ब्रास स्कैप	1.01 कि० ग्रा०	30%	1 कि० ग्रा०
16.	प्लास्टिक से बनी हुई सामग्री पी० बी० सी० से भिन्न	सी० 11.3	रेलीमेंट प्लास्टिक राबैडिरियल (पीबीसी से भिन्न)	1.05 कि० ग्रा०	40%	1 कि० ग्रा०
17.	हार्ड कार्बन इस्पात की रेली	ए० 51(3)	हार्ड कार्बन स्टील	1.15 कि० ग्रा०	40%	1 कि० ग्रा०
18.	गोड़ी ऊन के कम्बल/कम्बल के कपड़े	के० 4	सिथेटिक बैस्ट	1.06 कि० ग्रा०	30%	1 कि० ग्रा०
19.	सीमलैस स्टील ट्यूब्स	ए० 7(1)	सीमलैस बार्ड्स/बिलेट्स/ब्लूम्स	1.05 कि० ग्रा०	70%	1 कि० ग्रा०
20.	एल्यूमीनियम कन्डक्टर स्टील रिइन्फोर्सड	ए० 24(1)	(1) एल्यूमीनियम की सिलिन्दा/एल्यूमीनियम की छड़ें (2) हार्ड कार्बन स्टील वायर राइस (3) जस्ता	1.10 कि० ग्रा० 1.01 कि० ग्रा० 1.04 कि० ग्रा०	 50%	 1 कि० ग्रा०
21.	सभी प्रकार के एल्यूमीनियम कन्डक्टर (ए० सी)	ए० 24(1)	एल्यूमीनियम सिलिन्दा/एल्यूमीनियम छड़ें	1.01 कि० ग्रा०	60%	1 कि० ग्रा०

टिप्पणी - भाग-1 की सब स० 7 के मामले में कालम 5 में 1.11 कि० ग्रा० की दर से स्वीकृत कर मुक्त स्पन सिल्क यार्न का आयात निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त स्पन सिल्क यार्न के 1 किलोग्राम के बबले में होगा।

(1) भाग 'क' की सब स० 8 के मामले में कालम-5 में 1.19 किलोग्राम की दर से स्वीकृत कर मुक्त नायलॉन यार्न का आयात निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त नायलॉन यार्न (सिल्क) के एक किलोग्राम के बबले में होगा।

(3) भाग 'क' की सब स० 18 के मामले में कालम 5 में 1.06 किलोग्राम की दर से स्वीकृत कर मुक्त सिथेटिक बैस्ट का आयात निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त सिथेटिक सामग्री धो 1 किलोग्राम की मामले के बबले में होगा।

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(Indirect Taxes Division)

NOTIFICATION

No. /83-CUSTOMS

New Delhi, the 15th April, 1983

G.S.R. No. —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the materials specified in the Schedule annexed hereto when imported into India from the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that the importer shall produce an import replenishment licence issued in terms of Appendix 29 of the Import Policy for the period commencing on the 1st day of April, 1983 and ending with the 31st day of March, 1984 under the Imports (Control) order, 1955, containing the following endorsements by the authority issuing such licence, namely :—

- (a) Duty Free imports against Replenishment Licence as per Appendix 29 of the Import Policy April 1983—March 1984;
- (b) the quantity and the value of the said materials allowed to be imported under the said licence; and

(c) the description of the exported product against which import of the said materials would be allowed under the said licence.

SCHEDULE

- (1) Stainless Steel Sheets or Strips or Coils (Non-Magnetic).
- (2) Stainless Steel Sheets or Strips or bars and rods.
- (3) Hot Rolled Carbon Steel Sheets or Strips or Plates or Coils (other than high Carbon Steel).
- (4) Zinc.
- (5) Spun Silk Yarn.
- (6) Noil Yarn (Silk).
- (7) Raw wool or wool tops or woollen yarn.
- (8) Raw wool 48s and below.
- (9) Brass Scrap.
- (10) Plastic Raw Material (other than P.V.C.)
- (11) High Carbon Steel.
- (12) Mulberry raw silk of all grades (other than dupion yarn).
- (13) Mulberry dupion yarn.
- (14) Synthetic Waste.
- (15) Seamless Bars/Billets/Blooms.
- (16) Aluminium Ingots/Aluminium Rods.
- (17) High Carbon Steel Wire Rods.

[F. No. 602/ 83-DBK]

APPENDIX IV TO THE MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 10-ITC(PN)/83 Dt. 15-4-83

PART A

Item No.	Description of the export product	Relevant Sl. No. of App. 17	Description of items allowed for import duty free	Quantity of items allowed for import duty free	Import Replenishment percentage	Quantity of relevant export product
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Stainless Steel Utensils, sinks and hospital ware (Non-Magnetic)	Q. 1	Stainless Steel Strips/Sheets/Coils (Non-Magnetic)	1.15 Kgs.	50%	1 Kg.
2.	Stainless Steel Forks	Q. 1	Stainless Steel Sheets/Strips/bars and rods	1.60 kgs.	50%	1 Kg.
3.	Stainless Steel Spoons/Knives	Q.1	Stainless Steel Sheets/Strips/bars and rods	1.30 Kgs.	50%	1 Kg.
4.	Galvanised Steel Pies/Tubes	A. 7(i)	(i) Hot Rolled Carbon Steel sheets/ strips/ coils (other than High Carbon steel) (ii) Zinc	0.9765 kg. 0.07 Kg.	70%	1 Kg.
5.	Galvanised Wire and Sheets (whether corrugated or not)	A. 7 (ii)	Zinc	0.04 Kg.		
6.	Steel Pipes and Tubes (Black) including precision Tubes	A. 7(i)	Hot Rolled Carbon Steel Sheets/ Strips/Coils (other than High Carbon Steel)	1.05 Kgs.	70%	1 Kg.
7.	100% spun silk fabrics	K. 7(l)	Spun silk yarn	1.11 kgs.	20%	1 kg.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. 100% Noil yarn (silk) fabrics	K.7(i)	Noil Yarn (Silk)	1.19 kgs.	20%	1 Kg.	
9. 100% mulberry raw silk fabrics other than dupion fabrics	K.7(i)	Mulberry raw silk of all grades (other than dupion yarn)	1.35 kgs.	20%	1 kg.	
10. 100% mulberry dupion silk fabrics	K.7(i)	Mulberry dupion yarn	1.35 kgs.	20%	1 Kg.	
11. Silk Carpets	K.8(i)	Spun Silk Yarn	1.15 Kgs.	40%	1 Kg.	
12. Articles of Hosiery/knitwear made wholly of wool	0.2	(i) Raw Wool or (ii) wool tops or (iii) woollen yarn	1.25 kgs 1.17 Kgs. 1.10 kgs.	40% 40% 40%	1 Kg. 1 Kg. 1 Kg.	
13. Hand Knitted/woven woollen carpets.	K.5(ii)	Raw wool 48s and below	0.30 Kgs.	30%	1 Kg.	
14. Brass artware	H.1	Brass scrap	1.01 Kgs.	40%	1 Kg.	
15. Brass fittings	A.17	Brass scrap	1.01 Kgs.	30%	1 Kg.	
16. Articles made of plastics (other than P.V.C.)	C.11.3	Relevant plastic raw material (other than P.V.C.)	1.05 kgs.	40%	1 Kg.	
17. Steel files (of high carbon steel)	A.51(iii)	High Carbon steel	1.15 Kgs.	40%	1 Kg.	
18. Shoddy woollen Blankets/Blanketing cloth	K.4	Synthetic Waste	1.06 Kgs.	30%	1 Kg.	
19. Seamless Steel Tubes	A.7(i)	Seamless Bars/Billets/Blooms	1.05 Kgs.	70%	1 Kg.	
20. Aluminium Conductors Steel Reinforced (ACSR)	1.24(i)	(i) Aluminium ingots/ rods (ii) High Carbon Steel Wire Rods (iii) Zinc	1.01 Kgs. 1.01 Kgs. 1.04 Kgs.	50%	1 Kg.	
21. All Aluminium Conductors (AAC)	A.24(i)	Aluminium ingots/Aluminium rods	1.01 Kgs.			

Note: (1) In the case of Item No. 7 in Part 'A', import of Spun Silk Yarn allowed duty free at 1.11 Kgs. in Column 5 shall be against 1.00 kg. of Spun Silk Yarn used in the product exported.

(2) In the case of Item No. 8 in Part 'A', import of Noil Yarn allowed duty free at 1.19 Kgs. in Column 5 shall be against 1.00 kg. of Noil Yarn (Silk) used in the product exported.

(3) In the case of Item No. 18 in Part 'A', import of Synthetic Waste allowed duty free at 1.06 Kgs. in Column 5 shall be against 1 Kg. content of synthetic material in the product exported.

